

FORM NO. III

APP-A

फर्द अहकाम

crim-I

(नियम 26)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नैनवां, जिला बून्दी (राज0)

शश्वेन्दु बिहारी शर्मा बनाम कुल्लू मुरारी शर्मा

केस मुकदमा

नं.

सन्

97/2024

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
28/10/24	वॉर्ड पत्र/प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 53, 88, 188 RT Act द्वारा वकील श्री <u>अश्वि सिंह आशावत</u> पेश किया गया। सरिस्ता रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रतिवादीगण/अप्रार्थीगण को सुनवाई हेतु तलब किया जाकर दिनांक <u>4.2.2025</u> को पेश हो	
4-2-25	पत्रावली पेश हुई। अभिभाषकगणों द्वारा न्यायिक कार्य स्थगित रखा। पत्रावली वास्ते साक्षिक कार्यवाही दिनांक <u>21.4.25</u> को पेश हो	
21.4.25	पत्रावली पेश हुई। सरिस्ता अहकाम उपस्थित है। श्रीमान पीतल्लू मुरारी शर्मा/अन्य/अन्य/अन्य में तलब रखा है। पत्रावली दि <u>6-8-25</u> को पेश हो	
6.8.25	पत्रावली पेश हुई। वकील पत्रावली उपस्थित है। श्रीमान पीतल्लू मुरारी शर्मा/अन्य/अन्य/अन्य में तलब रखा है। पत्रावली दि <u>17.12.25</u> को पेश हो	
17/12/25	पत्रावली-आप पेश हुए। बाकी तथा बाकी वकील उक्त बाकी तथा उनके अभिभाषक द्वारा प्रतिवादीगण व बाकी के मध्य शर्जीनामा हो जाने से बाह्य आगे नहीं चलाना तथा बाह्य Note Process दिए जाने का मौखिक निर्देश दिया। निर्देश लचीलर किया जाता है। बाकी व बाकी वकील द्वारा उक्त आशय का अंतिम किया जाकर उनके दरवाज़े दिए गए। पत्रावली Note Process होने से आगे चलना जाना न्यायिक नहीं होने संस्कारित	प्रतिवादीगण व वकील के मध्य शर्जीनामा हो जाने से बाह्य को आगे नहीं चलाना चाहिए। Note Process किया गया है। शश्वेन्दु बिहारी शर्मा 17/12/25

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नैनवां, जिला बून्दी न्यायालय

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल जज
	की प्याली है। पनाबली के मत शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल इफर हा। के